



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिल्हा होस्पीटल के पाइप
श्यामा प्रसाद मुख्यी नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मैसरा नीरज कुमार सिंह, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्सरिलेकड विवर स्टोन कक्षर (खनन पट्टा संख्या 08/2018, प्रभाग 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पढाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्थादन क्षमता 2,13,360 (ROM) वर्षा परिमार्श तथा प्रस्तावित कक्षर उत्थादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर स्पेक्ट्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लासर में नवा 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबतु जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 को 01:45 PM से 02:30 PM तक, राजीव गांधी सेवा केंद्र, गंगोरा तहसील पढाड़ी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

क्र.सं.	नाम	पता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1	रत्न कुमार	ADM		L
2	सुनीता यात्रा	SDM		2
3	Vivek Goel	RD, RPRCB, Bharatpur	95302 45580	3
4	R. N. Mangal	M.E. Bharatpur	9828897880	4
5	Anup Tripathi	JEEJ RPRCB, Bharatpur	80073 22221	5
6	Deshvirendra Singh	BPO Pahari	756828725 - 90	6
7	जुरूर	पाठीपुरा		
8	कमल कुमार	पाठीपुरा	9083971606 8751605	
9	प्रेमशील कीर्ति	पाठी मन्दिर महात्मा	9828139651 Pankaj	
10	Sayeed Singh	Ad. PO	941304189	7
11	विजें	पाठीपुरा	9982413535	8
12	गोपनी शर्मा	जलाटर नहर महात्मा	9414025717 Ganesh	
13	Jitendra K. Yadav	manekl. Bomrazi Alwar	9671555238	9
14	AUSHOL CHAWLA	F.P. Jhunjhunwala - CHA	9812208148 Aneel	
15	बुजाहारी	पाठीपुरा	9887155713	10
16	Gyanendra Kumar	Changpura pahari	9057232112	11
17	Chandker Shukler	Bharat - Plus -	9555185540	12
18	Takesh Singh	Bharat - Plus -	8860487515	13
19	दुर्लभ गोप्ता	पाठी - पाठी	982813958	14
20	मोहम्मद	SDL	994969991	15



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रौद्योगिकी नियन्त्रण मंडल

जिला हांसीटल के पीछे

श्यामा प्रसाद मुख्य नगर, भरतपुर (राज.)

उपर्युक्ति विवरण प्रपञ्च

मैसरी नीरज कुमार सिंह, मैसरी स्टोन माइन्स इंस्टरलिंग विद्युत स्टोन क्रक्कर (खनन पट्टा संख्या 08/2C) 18, श्री 1116 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (CROMI) का प्रविवर्ष तथा प्रस्तावित कशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लासर में 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्थीकृत बाबत जन सुनवाई वित्तीय 21.02.2023 को 01:45 PM से 02:30 PM तक, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर का उपर्युक्ति विवरण :-

21	सोरुमुर्ग बुधी पर्यावरण	पर्यावरण	8000682016	Bony
22	कृष्ण	पर्यावरण	958265532	पर्यावरण
23	मेट्रिक्स	पर्यावरण	9509555941	Muthu
24	नामान लोन	पर्यावरण	7240797115	OL
25	प्राप्ति	पर्यावरण	9813367031	Priya
26	शिवलुगामी	पर्यावरण	9050288892	S
27	2561	गोदारा	256111	
28	इन्डिया क्राउन	पर्यावरण	9902519570	Surf
29	ब्रॉडवे	पर्यावरण	7376066462	76
30	कुटुंब	पर्यावरण	8772211393	32.61
31	एम्स	पर्यावरण	9812334323	23.5
32	Arsad	पर्यावरण	9352179546	
33	गोप्ता	पर्यावरण	8835222075	Goptha
34	पीनमो	पर्यावरण	72405776598	
35	विराज	पर्यावरण	7857976743	विराज
36	प्रदीप प्रिय	पर्यावरण	8095797211	प्रदीप
37	सहस्रदायन	पर्यावरण	9311661667	सहस्रदायन
38	Manisha Singh	JEE	9315665199	RF-1
39				
40				
41				
42				

जन सुनवाई विवरण

मैसर्स नीरज कुमार सिंह द्वारा प्रस्तावित परियोजना, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन (खनन पट्टा संख्या 08/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर (खनन पट्टा संख्या 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा कलस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्पति) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण अॉफिस अधिसूचना, कमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A,11 (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधाना अन्तर्गत मैसर्स नीरज कुमार सिंह द्वारा प्रस्तावित परियोजना, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 08/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा कलस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्पति) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में श्री रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलकटर, भरतपुर, (जिला कलकटर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2023 को अपरान्ह 01:45 बजे, ग्राम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा, तहसील— पहाड़ी, जिला — भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण यह हस्ताक्षर परिशिष्ट— 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बायत विज्ञप्ति दिनांक 19.01.2023 को सांघ्य ज्योति दर्पण तथा राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

वैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भरतपुर द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की ग्रामश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स नीरज कुमार सिंह द्वारा प्रस्तावित परियोजना, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 08/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा कलस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्पति) के लिये

पर्यावरण स्त्रीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।

श्री विधेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अधिनियम किया एवं जनसूनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि जनसूनवाई में पस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परिष्ठाजन एवं पर्यावरण के सरक्षण संबंधित जनसूनवाई की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विधेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपरित्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से इकाई की तकनीकी परामर्शदाता श्रीमती कायनात अजीम द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सांगश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान इंटरलिंक विद स्टोन कशर परियोजना द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जानना चाहा गया कि परियोजना संबंधित प्रस्तुतीकरण में मॉड्यूलर एस.टी.पी. व उससे संबंधित संयंत्र क्षमता आदि के विवरण के बारे में जानकारी चाही गयी। इसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया किया गया कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की क्षमता लगभग 02 के.एल.डी. की होगी तथा इसके समन्वय में विस्तृत जानकारी अंतिम पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (Final EMP) में शामिल कर राज्य पर्यावरण अध्यक्ष आंकलन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

श्री बलवीर सिंह, निवासी ग्राम गंगोरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा परियोजना में आवंटित खनन पट्टों की धार्मिक महत्व के मन्दिर से न्यूनतम दूरी तथा आवंटित खनन पट्टों की वैधता अवधि सम्बंधित जानकारी चाही गयी। जिसके प्रत्युत्तर में खाने अभियंता द्वारा बताया गया की पट्टा की वैधता पंजीयन तिथि से पचास वर्ष तक की होती है तथा पट्टों की धार्मिक महत्व के मन्दिर से न्यूनतम दूरी 45 मीटर निर्धारित है।

तत्पश्चात् श्री जुवैर जी निवासी ग्राम गंगोरा व तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा जारीकरण द्वारा गयी की खनि अभियंता द्वारा बताया गये नियम कब कब बने हैं जिसके प्रत्युत्तर में अभियंता द्वारा बताया गया की उक्त नियम डिक्टेटर 1986 के पावधनों के अन्तर्गत निहित है।

श्री सहफुददीन जी निवासी तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा आपत्ति जाहिर किया पुनः उपनन पट्टों का आवर्णन, में रथानीय लोगों को नहीं शामिल किया जाता है। उनके द्वारा बताया गया जी खनन पट्टों में धूल मिट्टी उड़ने से आमजन की सेहत पर प्रतिकूल असर हो रहा है तथा रथानीय ग्रामीणों को खनन पट्टों में रोजगार के अवसर से बंधित रखा जा रहा है।


इसके प्रत्युत्तर में खनि अभियंता, भरतपुर द्वारा बताया गया कि खनन पट्टों का आवर्णन पुनः पारदार्शिता के साथ ई-आवशन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा आश्वस्त किया गया कि परियोजना में रथानीय ग्रामीणों को ही रोजगार का अवसर दिया जायेगा तथा नियमानुसार धूल दमन उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलकट्टा, भरतपुर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति से इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत करायें।

तदोपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलकट्टा, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रथानीय विचार रिकॉर्ड किये गये हैं आपके विचार व सुझाव/आपत्तियों सभी समिलित कर संबंधितों को देखी जायेंगी, जिसके समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। उन्होंने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि सुनवाई के दौरान जाहिर की गयी आपत्तियों पर गम्भीरता से विचार कर अपने पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (Final LMP) में शामिल करें।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलकट्टा, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का गम्भीर व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।


(विवेक गोयल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., भरतपुर


(रत्न कुमार)
अति. जिला कलेक्टर
भरतपुर, (राज.)